छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार,दिनांक 03 मार्च, 2023 (फाल्गुन 12, 1944)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अमरजीत भगत, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022–23 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट) पटल पर रखेंगे।

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक के लिये) पटल पर रखेंगे।

(4) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री,छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :–

(i) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–2022 (1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022)

(ii) शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2021–22,

(iii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,बिलासपुर का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–2022,

(iv) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का अठावनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–2022 (1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022),

(v) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़, का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–2022 (1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022) तथा

(vi) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–2022 (1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022) पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(5) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री,पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–2022 (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022) पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. के.के. ध्रुव, सदस्य, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिला अंतर्गत जिला विपणन कार्यालय (मार्कफेड) के अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, घरघोड़ा अनुभाग अंतर्गत आवंटित कोल ब्लॉक में ग्राम बजमुड़ा के किसानों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजा वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम–संजारी नवागांव में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम–मोपका–निपनिया में महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण करने तथा

(iii) ग्राम–सेमरिया घाट में शिवनाथ नदी पर वृहद पुल निर्माण करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

5. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये नौ–नौ सदस्यों का निर्वाचन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223–ख के उप नियम (1) तथा 223–ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2023–2024 की अवधि हेतु अपने में से नौ–नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

क्रमशः 3

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये नौ सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

''सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम– 234– ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वर्ष 2023–2024 की अवधि हेतु अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन–तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

7. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री मोहन मरकाम,सदस्य, द्वारा बुधवार,दिनांक 01 मार्च, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

''माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।''

निर्धारित समय

8. अशासकीय विधेयक

1 घंटा 30 मिनट श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

9. अशासकीय संकल्प

20 मिनट (1) डॉ. विनय जायसवाल, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये।''

20 मिनट (2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''बिलासपुर न्यायधानी की विद्युत लाईनों को पूर्णतः अण्डर ग्राऊंड किया जाये।''

20 मिनट (3) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''जिला–जांजगीर–चांपा के जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाये।''

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 02 मार्च,2023